उच्चतम न्यायालय, भारत

सिविल मूल न्यायक्षेत्राधिकार

याचिका(सिविल) संख्या 2003 की 583

सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य (याचिकाकर्ता)

बनाम

भारतीय संघ एवं अन्य (जवाबदेह, प्रतिवादी)

याचिका(सिविल) 2003 की संख्या 583

अवमानना याचिका (सिविल) 2012 की संख्या 132

न्याय

पी.सदाशिवम, प्रमुख न्यायाधीश(CJI)

1) उपरोक्त याचिका जनहित याचिका के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जिसमें प्रार्थना की गई है कि जवाबदेह भारतीय संघ परमादेश का प्रचालन करे। राज्य सरकारें एवं केन्द्रशासित प्रदेश मैला ढोने वालों का रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण(निषेध) अधिनियम 1993 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जाएगा)। अन्य विषयों के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 14, 17, 21 एवं 47 जो कि मौलिक अधिकारों की गारन्टी देते हैं, उनका पालन किया जाए।

2) तथ्य संक्षेप में

(i) शुष्क शौचालयों से मानव मल को हाथों, झाड़ू या टीन के टुकड़े से उठाने, उसे शुष्क शौचालयों से ले कर निपटान स्थान तक ले जाने की अमानवीय प्रथा जो कि अभी भी देश के विभिन्न भागों में प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गये सर्वे के अनुसार अभी लगभग 12 लाख लोग इस प्रथा में संलिप्त हैं जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2002–2003 में चिन्हित मैला ढोने वालों की संख्या 6,76,009 है। इसमें 95% दलित जुड़े हैं (जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित हैं), जो कि ''परम्परागत

पेशा'' के नाम पर बदनाम और ये करने को विवश हैं। मुख्यधारा की जातियों के द्वारा उन्हे अछूत माना जाता है और सामाजिक तथा आर्थिक शोषण के भंवर में फंस जाते हैं।

(**ii**) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989 ने टास्क फोर्स की एक उप समिति गठित की थी जिसके अनुमान के अनुसार 72.5 लाख शुष्क शौचालय हैं। ये शुष्क शौचालय विभिन्न राज्यों में अभी भी अस्तित्व में हैं बल्कि अब बढ़कर इनकी संख्या 96 लाख हो गई है। इन्हें अनुसूचित जाति के मैलाढोने वालों द्वारा हाथों से मैनुअली साफ किया जाता है।

(**iii**) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन फरवरी 1989 में सरकार की एक ऐसी संस्था द्वारा किया गया था जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिसमें मैला ढोने वाले भी शामिल हैं उनके आर्थिक विकास के लिया किया गया है।

(**iv**) भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई जसे ''मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम दाम की स्वच्छता'' यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन 1989–90 से मैला प्रथा के उन्मूलन एवं कम दाम में शुष्क शौचालयों को जल–चालित शौचालयों के निर्माण में लगी हुई है।

(**v**) मैलाप्रथा के उन्मूलन के मद्देनजर मार्च 1992 में एक योजना ' मैला ढोने वालों एवं उनके निर्भरों के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है। जिसमे उनके चिन्हिकरण, मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए ताकि उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं वैकल्पिक रोजगार दिया जा सके।

(**vi**) पिछले अनुभवों के आधार पर एवं ग्रामीण स्व्च्छता पर सितम्बर 1992 को राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने मार्च 1993 में एक नई रणनीति बनाई। इसमें व्यक्तिगत रूप से चयनित घरों में जो कि गरीबी रेखा के नीच जीवन यापन कर रहे हैं जो कि 80% रियायत पर कुल खर्च एक शुष्क शौचालय पर 2,500 रुपये होगा।

(**vii**) वर्ष 1993 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया कि जिसका नाम था – मैला ढोने वालों का नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 है। इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से 5 जून 1993 को मिली। अधिनियम का इतना लम्बा नाम रखने के पीछे कारण यही रखा गया कि मैला ढोने वाले नियोजन का निषेध किया जाए साथ ही शुष्क शौचालयों के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाए। और जल–चालित शौचालय बनाए जाएं।

(**viii**) यह अधिनियम जून 1993 में बना था किन्तु साढ़े तीन साल तक यह निष्क्रिय रहा। बाद में वर्ष 1997 में यह क्रियान्वित हुआ। शुरू में यह आन्ध्र प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल एवं सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ। साथ ही यह आशा की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत प्रस्ताव पास करके स्वयं इसे अनुग्रहित कर लेंगे। किन्तु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग , एक वैधानिक संस्था, ने अधिनियम 1993 पर ध्यान दिया और संसद में पेश अपनी तीसरी और चाथी रिर्पोट में कहा कि अधिनियम को सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। और देश भर में शुष्क शौचालयो ंकी संख्या 96 लाख और मैला ढोने वालों की संख्या 5, 77, 228 है। आगे यह भी ध्यान दिया गया कि मिलिट्री, आर्मी, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं भारतीय रेलों मे भी मैला प्रथा हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

(**ix**) वर्ष 2003 में कैग की एक रिर्पोट में 'राष्ट्रीय मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं मैला ढोने वालों तथा उनके निर्भरों के पुनर्वास' योजना का मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन का निष्कर्ष था कि –'' 10 वर्षों में 600 करोड़ रुपयों से अधिक खर्च करने के बावजूद यह योजना अपने उद्देश्य में असफल रही है।'' आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि योजना के कार्यान्वयन के लिए फण्ड उपलब्ध था किन्तु इसका अधिकांश भाग बिना खर्च किए अनुपयोगी रहा। इसकी निगरानी के लिए गठित समिति निष्क्रिय रही। यह भी ध्यान दिया गया कि –'' मुक्ति एवं पुनर्वास के बीच बातचीत एवं पत्र–व्यवहार का अभाव रहा। मुक्त हुए मैला ढोने वाले पुनवार्सित भी हुए – इसके प्रमाण नहीं मिले। इसका निष्कर्ष है कि इसके अवधारणा एवं उनके कार्यान्वयन तथा कानून का क्रियान्वयन बहुत ही कम होना'' इसकी मुख्य वजह रही।

(**x**) वर्ष 2003 में सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य छह सामाजिक संगठनों तथा सात समुदाय के व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रस्तुत जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की। जिसमें कहा गया कि अभी भी मैला प्रथा जारी है एवं शुष्क शौचालयो ंका निर्माण भी जारी है जो कि संविधान के अनुच्छेदों 14, 17, 21 एवं 23 तथा अधिनियम 1993 के तहत असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है।

3) हमने परामर्शदाताओं के तर्क सुने एवं उनके द्वारा दिए गये रिकॉर्ड का भी अनुशीलन किया।

राहत दी जानी चाहिएः

4) याचिकाकर्ता 2003 में इस याचिका के साथ वर्ष 2003 में आए साथ ही उन्होने कोशिश की :

(**i**) शुष्क शौचालयों का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चत की जाए;

(**ii**) मैलाप्रथा एवं शुष्क शौचालय संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 एवं 23 तथा अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रतिबंधित घोषित किया जाए;

(**iii**) जवाबदेह को निर्देशित किया जाए कि वे अधिनियम का पूरी तरह पालन करें एवं समयबद्ध योजना बना कर मैलाप्रथा का पूरी तरह उन्मूलन करें तथा जो लोग मैला ढोने में लगे हैं उनका पुनर्वास किया जाए।

(**iv**) भारतीय संघ एवं राज्यों सरकारों को निर्देशित किया जाए कि वे विभिन्न नगर निगमों, म्युनिसिपालिटी एवं नगर पंचायत (सभी स्थानीय निकायों) में अधिनियम 1993 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियोग चलाने की पहल करें।

(**v**) कोर्ट द्वारा निर्धारित विभिन्न निर्देशों की सामयिक रिर्पोट प्रस्तुत करें।

परिचर्चा

5) डॉ. भीम राव अंबेडकर ने (जो कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे) अस्पृश्यता की सामान्य रूप से और मैला प्रथा के बारे में विशेष रूप से निन्दा की थी। और संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हुए निम्न बातें कही थीं–

''अस्पृश्यता का उन्मूलन'' : अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जाता है और इसका किसी भी रूप में इसका जारी रहना निषेध है। अस्पृश्यता या छूआछूत का किसी भी रूप में जारी करना कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध है।''

6) अनुच्छेद 17 का सिविल अधिकार अधिनियम 1955 (जिसे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 कहा जाता है।) के द्वारा कियान्वित हुआ। अधिनियम को अनुभाग 7ए कहता है कि कोई भी किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत मैला ढुलवाता है वह इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है और इसके लिए कारावास की सजा है। ये संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान देशभर से मैलाप्रथा उन्मूलन हेतु अपर्याप्त हैं, क्योंकि मैला प्रथा की जड़ें जाति प्रथा एवं उसकी वजह से अस्पृश्यता में हैं।

7) संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सभाओं, अनुबंधों जिसमें भारत भी हिस्सेदार है जिसने अमानवीय मैलाप्रथा के खिलाफ व्यवस्था दी है। ये हैं वैश्विक मानव अधिकार घोषणा(UDHR), नस्लीय भेदभाव उन्मूलन हेतु सभा(CERD), महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु सभा(CEDAW)।

UDHR, CERD, CEDAW के प्रासंगिक प्रावधान निम्न हैं:

UDHR का अनुच्छेद 1

सभी इन्सानों का जन्म स्वतन्त्र तथा समान गरिमा एवं अधिकारों के साथ हुआ है। एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए।

UDHR अनुच्छेद 2(1)

इस घोषणा के अनुसार सभी को सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रता का अधिकार है बिना किसी प्रकार का भेद किए जैसे कि नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या किसी अन्य विचार के, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के कारण इन्सानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

UDHR अनुच्छेद 23(3)

जो भी व्यक्ति काम करता है उसे उचित पारिश्रमिक मिले जिससे कि वह अपना और अपने परिवार का मानवीय गरिमा के साथ भरण पोषण कर सके। आवश्यक हो तो अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा दी जाए।

CEDAW अनुच्छेद 5(अ)

राज्य पक्ष सभी समुचित कदम उठाएगा

अ) स्त्री–पुरूष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पैटर्न में कुछ सुधार करें जिससे कि स्त्री–पुरूषों में भेदभाव की भावना समाप्त हो और वे सभी भावनाएं जो उच्चता और हीनता को प्रदर्शित करती हों, सभी को दूर कर समानता की भावना हो।

CERD अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 2(1)(सी)

राज्य पक्ष नस्लीय भेदभाव की निन्दा करता है और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है।

सी) प्रत्येक राज्यपक्ष प्रभावी कदम उठाएगा और सरकार की, राष्ट्रीय एवं स्थानीय नीतियां, उनके संशोधन, किसी कानून को रद्द करना, जहां नस्लीय भेदभाव जहां भी हो उसे समाप्त करना।

उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय उपबंध जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गये हैं इसलिए वे घरेलू कानून के साथ भी मान्य हैं।

8) वर्ष 2003 से अभी तक, इस याचिका को परमादेश की तरह माना जाता है, कोर्ट द्वारा कई दूरगाभी आदेश भी इस आधार पर पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया है कि कई राज्य इस अधिनियम का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। सभी राज्यों को इसका समर्थन करना है। दिल्ली ने भी इसे बहुत बाद में यानी वर्ष 2010 में अधिग्रहित किया। भारतीय संघ, राज्य सरकार एवं याचिकाकर्ताओं ने भी समय–समय पर कोर्ट के निर्देशानुसार शपथपत्र दिए हैं।

9) विभिन्न अवसरों पर कोर्ट ने भारतीय संघ एवं राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे अधिनियम के पालन के लिए निगरानी रखें। इन आदेशों की वजह से राज्य सरकारें इस अधिनियम के पालन के लिए धीरे–धीरे बाध्य हुई हैं। और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यकर्मचारी नियुक्त किए हैं। कोर्ट के निर्देशों के आधार पर राज्य अधिनियम के कियान्वयन एवं निगरानी के लिए बाध्य हैं।

10) कोर्ट के दबाव के कारण मार्च 2013 में केन्द्र सरकार ने 'मैला ढोने वालों का सर्वे' करने की घोषणा की। हालांकि सर्वे सिर्फ 3546 टाउन में ही किया गया इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया गया। हालांकि इस सीमित आदेश के याचिकाकर्ता संख्या 1 के अनुसार सर्वे से थोड़ी ही सही किन्तु उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य अपनी प्रगति रिर्पोट में बताते हैं कि 'मैला ढोने वाले एवं उनके निर्भरों के सर्वे' के बारे में दिनांक 27.02.2014 को कहना है कि वास्तविक मैला ढोने वालों और उनके निर्भरों के बारे में काफी कम मात्रा में सर्वे किया गया है। उदाहरण के लिए याचिकाकर्ताओं ने अपने सीमित साधनो में बिहार में 1098 मैला ढोने वालों का सर्वे किया है। जबकि सरकार की प्रगति रिर्पोट कहती है कि उनके सर्वे में सिर्फ 136 मैला ढोने वाले पाए गये हैं। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में याचिकाकर्ताओं ने 816 मैला ढोने वालों का चिन्हित किया है जबकि दिनांक 27–02–2014 के सर्वे में सरकार ने सिर्फ 46 लोगों को ही चिन्हित किया है।

11) उपरोक्त आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि मैलाप्रथा की स्थिति ज्यों की त्यों है। शुष्क शौचालय का अस्तित्व भी पाया गया जबकि अधिनियम 1993 को आए हुए बीस वर्ष हो गए। राज्यों ने अधिनियम को अधिग्रहित करने मे रूचि नहीं दिखाई और छुआछूत का भी उन्मूलन नहीं हो सका।

12) पिछले दशक से कोर्ट ने भी राज्यो एवं संघ को विभिन्न निर्देश दिए। कोर्ट के प्रभावी हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार एक नया अधिनियम लेकर आई। जिसका नाम है – ''मैलाढोने वालों के रूप में

नियोजन निषेध एवं उनका पुनर्वास'' मैला प्रथा को मिटाने के लिए एवं मैलाढोने वालों के कल्याणार्थ। अधिनियम को राष्ट्रपति ने 18.9.2013 को स्वीकृति प्रदान की। उपरोक्त अधिनयिम को क्रियान्वयन न तो संविधान के अनुच्छेद 17 को कम करता है और न ही अधिनियम 1993 की राज्य एवं संघ में अनदेखी करता है। बल्कि अधिनियम 2013 अनुच्छेद 17 एवं 21 के अधिकारों को बढ़ावा देते हुए सीवर साफ करने वाले, सेप्टिक टैंक साफ करने वाले और रेलवे ट्रैक से मानव मल साफ करने वालों को इस अधिनियम में मैला ढोने वालों में शामिल करता है।

13) अतिरिक्त सौलीसीटर जनरल ने इस अधिनियम की कई विशेषताएं बताई हैं जो निम्न हैंः

(i) इस अधिनियम के क्रियान्वयन से मैलाढोने वालों के नियोजन का निषेध है तथा उनके और उनके परिवार वालों के लिए पुनर्वास का प्रावधान है।

(ii) अधिनियम का अध्याय 1 अन्य विषयों के साथ ''खतरनाक सफाई'', ''अस्वच्छ शौचालय'' एवं ''मैला ढोने वालों'' जैसा कि अनुभाग 2(1), (डी), (ई) एवं (जी) में क्रमशः दिया गया है अलग से भी परिभाषित करता है।

(iii) अधिनियम का अध्याय 2 अस्वच्छ शौचालयों के प्रावधानों का चिन्हित करता है जैसा कि अनुभाग 4(1) में वर्णित हैः

''**4–स्थानीय निकाय अस्वच्छ शौचालयों को सर्वे करें एवं उन्हें स्वच्छ समुदाय शौचालय प्रदान करें।**

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय करेंगे–

(ए) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अस्वच्छ शौचालयों का सर्वे कराएं एवं ऐसे शौचालयों की सूची प्रकाशित करें। ये सर्वे इस प्रकार किया जाए कि अधिनियम क्रियान्वित होने के दो महीनों के अन्दर ये पूरा हो जाए।

(बी) जिनके यहां शुष्क शौचालय हों उनको नोटिस दिया जाए कि सूची के प्रकाशन के पन्द्रह दिन के अन्दर (ए) शुष्क शौचालय मालिक अपने शौचालय को ध्वस्त कर दे या (बी) उसे जलचालित शौचालय में तबदील कर दे अधिनियम के क्रियान्वयन के छह महीने के अन्दर।

स्थानीय निकाय यह भी ध्यान दें कि उसकी सूचना के बाद यह अवधि तीन महीने से अधिक न हो।

(सी) अधिनियम के क्रियान्वयन के नौ महीने के अन्दर उस क्षेत्र में जहां शुष्क शौचालय पाए गये थे वहां स्वच्छ सामुदायिक शौचालय बनाना आवश्यक है।

(iv) अधिनियम के अध्याय 3 में अस्वच्छ शौचालय बनाने का निषेध है और साथ ही मैला ढोने वाले के नियोजन का भी। इसका अनुभाग 5, 6 एवं 7 निम्न प्रकार है :

'' 5– अस्वच्छ शौचालय रोजगार एवं मैला ढुलवाने का निषेध

(1) मैला ढोने वालों का नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण(निषेध)अधिनियम 1993 (1993 का 46) के अनुसार कोई भी व्यक्ति या स्थानीय निकाय या संस्था इस अधिनियम के क्रियान्वित होने से –

(क) शुष्क शौचालय नहीं बनाएगा

(ख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को मैला ढोने के लिए नियुक्त नहीं करेगा और बिना बिलम्ब के ऐसे काम में संलिप्त व्यक्ति को वहां से हटाया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के दिन से यदि कोई शुष्क शौचालय है तो उसके मालिक द्वारा या तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा या उसे अस्वच्छ शौचालय में बदला जाएगा। अपने खर्चे पर। (बी)नियत समय से पहले। अनुभाग 4 के उप अनुभाग 1।

जहां बहुत से शुष्क शौचालय मालिक हैं वहां उनकी जिम्मेदारी निम्न होगी–

(ए) उस शौचालय का मालिक (बी) सभी शुष्क शौचालय मालिक , संयुक्त रूप से या सभी मामलों में

राज्य सरकार ऐसे शौचालय मालिकों को उनके अस्वच्छ शौचालय निर्माण में कुछ मदद करेगी इसका विशेष उल्लेख किया जाए

सरकार द्वारा सहायता नहीं देने बिना रसीद के यदि किसी भूमि पर अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जाता है उनकी देखरेख नहीं की जाती है (अधिनियम क्रियान्वयन के नौ महीने के अन्दर) तो उसे वैध नहीं माना जाएगा।

(3) उप–अनुभाग के अन्तर्गत समय सीमा के कोई शुष्क शौचालय को जलचालित शौचालय में तब्दील नहीं किया है (2) जिस स्थानीय संस्था के न्याय क्षेत्र में आता है वह शुष्क शौचालय मालिक को इक्कीस दिन का नोटिस दे कि या तो वे शुष्क शौचालय को ध्वस्त कर दें या उसे जलचालित शौचालय में बदल दें या वहां जलचालित शौचालय बनवाने की कीमत अदा करें।

6–ठेका या एग्रीमेंट को अमान्य करना है

(1) इस अधिनियम के शुरू होने के पहले यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार का ठेका या एग्रीमेंट करता है तो वह अमान्य कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

(2) उप–अनुभाग(1) के बावजूद, कोई भी व्यक्ति मैला ढोने वाले के रूप में किसी को फुल–टाइम या पार्ट टाइम रोजगार पर रखता है, उसी पारिश्रमिक पर कोई अन्य काम पर रखता है, इसे अमान्य किया जा सकता है।

7– सीवर एवं सेप्टिक टैंक में रोजगार निषेध

कोई भी व्यक्ति, स्थानीय संस्था या कोई अन्य एजेंसी के लिए राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है कि इस तारीख से अधिनियम के एक वर्ष बाद मैला ढोने से जुड़ा होना या रोजगार करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक सफाई से जुड़े काम जैसे सीवर की सफाई या सेप्टिक टैंक की सफाई में लगा होना, निषेध है।

(v) अधिनियम के 8 एवं 9 अनुभाग में दण्ड के प्रावधान निम्न हैं :

8–**अनुभाग 5 या 6 का उल्लंघन करने पर दण्डः**

जो व्यक्ति अनुभाग 5 या 6 का उल्लंघन पहली बार करता है उसको एक वर्ष की कैद या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, दुबारा या बार बार ऐसा करने पर सजा को बढ़ाकर दो वर्ष या एक लाख जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।

9–अनुभाग 7 के उल्लंघन पर दण्ड

अनुभाग 7 का जो पहली बार उल्लंघन करता है उसे दो वर्ष की कैद या दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, दूसरी बार या बार बार करने पर इसकी सजा बढ़ा कर पांच वर्ष कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों हो सकती हैं।

(vi) अध्याय 4 में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मैला ढोने वालों को चिन्हित करना एवं उनका पुनर्वास करना है। अनुभाग 13 इस संबंध में निम्न है :

"13–म्युनिसिपालिटी द्वारा चिन्हित किए गये मैला ढोने वालों के पुनर्वास करना

(1) अधिनियम के अनुभाग 11 के उप अनुभाग 6 के अन्तर्गत यदि किसी मैला ढोने वाले का नाम फाइनल लिस्ट में आ गया है और वह प्रकाशित हो गया है तो अनुभाग 12 के उप अनुभाग 3 के तहत उसके पुनर्वास के लिए निम्न प्रक्रिया होगीः

(a) एक महीने के अन्दर उसे दिया जाएगा

(i) एक फोटो आइडेंटिओ कार्ड, जिसमें उसके परिवार एवं उस पर निर्भर सदस्यों का पूर्ण विवरण होगा। एवं

(ii) ऐसी स्थिति में एक बार नगद सहायता दी जाएगी।

(b) मैला ढोने वाले के बच्चों को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय संस्था से स्कोलरशिप प्रदान की जाए।

(c) मैला ढोने वाले को आवास दिया जाएगा और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, या बना–बनाया घर, वित्तीय सहायता के साथ, यह मैला ढोने वाले की इच्छा और योग्यता पर निर्भर करता है साथ ही अधिनियम में जो प्रावधान हैं उनके अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानी निकाय द्वारा प्रदान किए जाएं।

(d) वह या उसके परिवार का कोई व्यस्क सदस्य को आजीविका के लिए उनकी योग्यता और इच्छा से प्रशिक्षण दिया जाए और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मासिक स्टीफंड दिया जाए जो तीन हजार मासिक से कम न हो।

(e) वह या उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार रियायत एवं छूट के साथ ऋण दिया जाए जिससे कि वह अपना स्थाई रोजगार कर सके। यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किया जाए।

(f) उसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम के लिए या कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

(2) अधिनियम के उप अनुभाग (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट संबंधित राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित क्षेत्र के म्युनिसिपैलिटी अधिकारी मैला ढोने वालों के पुनर्वास के प्रति जिम्मेदार होगा।

(vii) अधिनियम का अध्याय 5 तंत्र या मैकिनिज्म के क्रियान्वयन को फोकस करता है। अनुभाग 17 से 20 निम्न प्रकार हैः

17–शुष्क शौचालयों के उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि जागरूकता अभियान चलाकर या कोई ऐसा अन्य ऐसे ही किसी प्रकार से इस अधिनियम के शुरू से नौ माह के अन्दर किया जाए।

(i) इसके न्यायक्षेत्र में न तो शुष्क शौचालय बनाए जाएं और न उनका प्रबंधन किया जाए और न उनका इस्तेमाल किया जाए और

(ii) उप वाक्य (i) के उल्लंघन पर शुष्क शौचालय के मालिक पर अनुभाग 5 के उप अनुभाग (3) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

18–इस अधिनियम को जिन संस्थाओं को इसके अनुपालन या क्रियान्वयन की विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है

सरकार ऐसी शक्ति एवं कर्तव्यों के लिए स्थानीय स्तर पर या जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश दे सकती है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट अपने से नीचे के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दें वे अपने अधीनस्थों को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। इससे कुल मिलाकर यह होगा कि अधिनियम के प्रावधानों का भलीभांति पालन हो सकेगा।

19–जिला मजिस्ट्रेट एवं अधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य

जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकृत अधिकारी अनुभाग 18 के अन्तर्गत या अन्य अनुभागों के तहत यह सुनिश्चित करें कि इसमें दी गई अवधि के निकल जाने के बाद इस अधिनियम का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि :

(a) अपने न्याय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मैला ढोने में संलग्न नहीं है या इस नियोजन में नहीं लगा है।

(b) शुष्क शौचालय कोई निर्मित नहीं करता है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, और शुष्क शौचालय उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

(c) यह सुनिश्चित करना कि जो मैला ढोने वाले चिन्हित किए गये हैं उनका अनुभाग 13 या 16 के अन्तर्गत पुनर्वास हुआ है या नहीं।

(d) जो लोग अनुच्छेद 5, 6 या 7 का उल्लंघन करते हैं उनकी तहकीकात कर ली गई है या इस अधिनियम के तहत उस पर अभियोग चला है और

(e) इस अधिनियम के तहत सभी प्रावधान सभी न्यायक्षेत्रों में लागू होते हैं।

20– इंस्पेक्टरों की नियुक्ति एवं उनके अधिकार

(1) सरकार इंस्पेक्टरों की अधिसूचना जारी कर सकती है जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में उपयुक्त होंगे और साथ ही वे अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे....

(viii) अध्याय 7 सतर्कता एवं निगरानी समितियों की स्थापना के लिए निम्न नियमों के अन्तर्गत सिफारिश करता है :

''24 – सतर्कता समितियां

(1) प्रत्येक सरकार को यह अधिसूचना दी जाए कि हर सब–डिविजन एवं हर जिले में सतर्कता समिति का गठन किया जाए

(2) हर जिले की सर्तकता समिति में निम्न सदस्य होने चाहिए....

(a) जिला मजिस्ट्रेट – चेयर परसन, पदेन अधिकारी, ...

25–सतर्कता समिति के कार्य

सतर्कता समिति के निम्न कार्य होंगे–

(a) जिला मजिस्ट्रेट या सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट या संबधित व्यक्ति को सलाह देती है कि अधिनियम के प्रावधानों को भलीभांति क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(b) मैला ढोने वालों का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास करने का निरीक्षण करना।

(c) मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए सभी संबधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली में समन्वय स्थापित करना।

(d) इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों, उनकी जांच एवं अभियोग की निगरानी करना।

26–राज्य निगरानी समिति

(1) अधिसूचना जारी करके प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करे। जिसमें निम्न सदस्य हों –

(a) राज्य के मुख्यमंत्री या चेयरपरसन द्वारा नामांकित सदस्य, पदेन अधिकारी....

27–राज्य निगरानी समिति के कार्य

राज्य निगरानी समिति के निम्नकार्य होंगे –

(a) इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय संस्था राज्य सरकार की निगरानी करें और सलाह देगी।

(b) सभी संबंधित संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना

(c) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप करना।

29–केन्द्रीय निगरानी समिति

(1) अधिसूचना जारी कर एक केन्द्रीय निगरानी समिति का अनुभाग के प्रावधानों के अनुसार गठन करें

(2) केन्द्रीय निगरानी समिति में निम्न सदस्य होंगे–

(a) सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय के यूनियन मिनिस्टर–चेयरपरसन, पदेन अधिकारी....

30–केन्द्रीय निगरानी समिति के कार्य

केन्द्रीय निगरानी समिति के निम्न कार्य होंगे–

(a) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए कानूनों का पालन एवं कार्यक्रमों के लिए सलाह देना एवं निगरानी करना

31–राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के निम्न कार्य हैंः–

(a) इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना

(b) इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत की पूछताछ करना और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना और आगे की कार्यवाही के लिए सिफारिश करना।

(c) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना।

(d) इस अधिनियम के क्रियान्वयन न होने के कारण स्वप्रेरित नोटिस जारी करना

(ix) अधिनियम के अध्याय 8 में विविध प्रावधान हैं। अनुभाग 33 स्थानीय संस्थाओं के सीवर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना। अनुभाग 36 के अनुसार सरकार एक अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तीन महीनों के अन्दर इन प्रावधानों का क्रियान्वयन होना चाहिए। अनुभाग

37 बताता है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए आदर्श नियम एवं दिशानिर्देश प्रकाशित करें।

14) हमने स्वयं भी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को नोट किया है और हमारे विभिन्न आदेशों के तहत हम निम्न **निर्देश** देते हैं :–

(i) अधिनियम 2013 के अनुभाग 11 एवं 12 के अन्तर्गत जो मैला ढोने वाला सूचीबद्ध हुआ है उसे भाग 4 के अनुसार निम्न प्रकार से पुनर्वासित किया जाना चाहिएः–

(a) पहल रूप में समय पर नगद सहायता दी जाए।

(b) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्था की योजनाओं के अनुसार मैला ढोने वाले बच्चों के लिए स्कोलरशिप प्रदान की जाएः

(c) मैला ढोने वालों के लिए आवासीय प्लॉट दिया जाए, घर निर्वाण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, या बना–बनाया घर आर्थिक सहायता दी जाए, स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार योग्यता एवं इच्छा के अनुकुल प्रदान किया जाए।

(d) मैला ढोने वाले के परिवार से कम से कम एक सदस्य को उसकी योग्यता एवं इच्छा के अनुसार आजीविका का प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मासिक स्टीपेंड दिया जाए।

(e) मैला ढोने वाले के परिवार के एक व्यस्क सदस्य को उसकी योग्यता एवं इच्छा के अनुसार स्कीमों के प्रावधनों के तहत रियायत दर पर .ऋण का प्रावधान किया जाए जिससे कि वे अपनी आजीविका के लिए गरिमामय पेशा अपना सकें।

(f) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार अन्य कानूनी प्रावधान तथा कार्यक्रम सहायता के लिए प्रावधान किए जाएं।

(ii) यदि हम मैलाप्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इस अमानवीय प्रथा से बचाना चाहते हैं तो उसमें मैला ढोने वालें के प्रावधान में निम्न को जोड़ना होगाः–

(a) सीवर में हुई मौतें– इमरजेंसी की स्थिति में भी सीवर लाइन में बिना सुरक्षा उपकरण के प्रवेश कराना अपराध घोषित करना चाहिए। प्रत्येक मृत्यु पर मृतक के परिवार को 10 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए।

(b) रेलवे – रेल पटरी पर होने वाले मैला प्रथा के उन्मूलन के लिए रेलवे को समयसीमा के अन्तर्गत अपनी रणनीति बनाए।

(c) जिस व्यक्ति ने मैला ढोना छोड़ दिया है उसे कानून के अनुसार विधिसम्मत जो मिलना चाहिए उसे उसमें बाधाएं नहीं आनी चाहिए।

(d) मैला ढोने वाली महिलाओं के गरिमामय आजीविका स्कीम के लिए उन्हें समर्थन दिया जाए।

(iii) 1993 से अब तक जिन परिवार के लोगों की मृत्यु सीवर, मेनहोल, सेप्टिक में हुई है उन परिवारों को चिन्हित किया जाए और मृतक के परिवार वाले जो उन पर निर्भर हैं उनके लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

(iv) पुनर्वास न्याय एवं परिवर्तन के के आधार पर होना चाहिए।

15) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जो ऊपर दिए गये हैं और कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों, हम सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाए और जो अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या उनका क्रियान्वयन नहीं करते हैं उनके खिलाफ समुचित एक्शन लिया जाए। जैसा कि अधिनियम 2013 में सभी दिशा–निर्देश दिए गये हैं उसके अनुसार अब कोर्ट को निगरानी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम एक बार कहना चाहते हैं कि सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिनियम को पूरी तरह क्रियान्वित करने का निर्देश देते हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश देते हैं। इसके पश्चात् भी यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो संबंधित संस्था उस पर संज्ञान ले फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर वह उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में होगा।

16) उपरोक्त निर्देश के साथ अब इस याचिका पर अन्य आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

.....

(पी.सदाशिवम) भारत के चीफ न्यायाधीश

.....

(रंजन गोगोई) न्यायाधीश

.....

(एन.वी.रमन) न्यायाधीश

नई दिल्लीः

27 मार्च 2014